प्रेस नोट
दिनांक 24.03.2025

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0- 81/25, धारा 191(2),109,352,351(3) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त- सूरज यादव पुत्र रामबली यादव नि0 ग्राम दुर्गागंज थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को नवाबगंज गोण्डा पुराने नदी पुल के नीचे से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.03.2025 को थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत कटरा चौराहा स्थित कपड़े की दुकानदार से कपड़े लौटाने की बात को लेकर विपक्षी सूरज यादव द्वारा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर गाली-गुप्ता देते हुए लाठी-डण्डों से मारपीट करते हुए जानलेवा हमला किया गया था। वादी पवन यादव पुत्र स्व0 भेल यादव नि0 ग्राम वजीरा बाद थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा की तहरीर पर थाना नवाबगंज में 06 नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। आज दिनांक 24.03.2025 को थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्या संकलन के आधार पर दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त सूरज यादव को नवाबगंज गोण्डा पुराने नदी पुल के नीचे से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. सूरज यादव पुत्र रामबली यादव नि0 ग्राम दुर्गागंज थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0-81/25, धारा 191(2),109,352,351(3) बीएनएस थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 संजीव सिंह।
02. हेड का0 देशदीप गिरि।
03. हे0का0 सुनील यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस-नोट
दिनांक 24.03.2025

थाना तरबगंज क्षेत्रांतर्गत हुई हत्या की घटना में संलिप्त 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना तरबगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय में पंजीकृत मु0अ0सं0-82/2025, धारा 103(1),3(5) बीएनएस व 3/4/5 विस्फोट पदार्थ अधिनियम से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्तों- 01. भगौती प्रसाद मिश्रा पुत्र स्वर्गीय रामराज मिश्रा, 02. सीतापति पत्नी भगौती प्रसाद निवासीगण ग्राम खाले शीशौ थाना तरबगंज जनपद गोंडा को बंधा टकटोना तिराहा से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.03.2025 को थाना तरबगंज क्षेत्रांतर्गत ग्राम खाले शीशौ में दोपहर करीब 01.00 बजे प्रथम पक्ष श्रीशचंद्र मिश्रा एवं द्वितीय पक्ष भगौती प्रसाद मिश्रा जो आपस में पटीदार थे, के मध्य जमीनी विवाद को लेकर मारपीट होने पर द्वितीय पक्ष द्वारा श्रीशचंद्र के ऊपर विस्फोटक सामग्री से हमला किया गया जो पास में बैठे रमाशंकर मिश्रा उम्र 55 वर्ष पुत्र पारसनाथ मिश्रा के ऊपर गिरा जिससे उनकी मृत्यु हो गई। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस एवं उच्चाधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम हेतु भेजवाया गया। फॉरेंसिक टीम/डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना तरबगंज पर चार नामजद आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 04 पुलिस टीमों का गठन किया गया। जिसके क्रम में दिनांक 23.03.2025 की रात्रि थाना तरबगंज पुलिस द्वारा घटना में संलिप्त 02 वांछित अभियुक्तों 01. भगौती प्रसाद मिश्रा पुत्र स्वर्गीय रामराज मिश्रा, 02. सीतापति पत्नी भगौती प्रसाद निवासीगण ग्राम खाले शीशौ थाना तरबगंज जनपद गोंडा को बंधा टकटोना तिराहा से गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही एनआईए/एटीएस, एडीजे तृतीय कोर्ट लखनऊ रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. भगौती प्रसाद मिश्रा पुत्र स्वर्गीय रामराज मिश्रा नि0 ग्राम खाले शीशौ थाना तरबगंज जनपद गोंडा।
02. सीतापति पत्नी भगौती प्रसाद नि0 ग्राम खाले शीशौ थाना तरबगंज जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-82/2025, धारा 103(1),3(5) बीएनएस व 3/4/5 विस्फोट पदार्थ अधिनियम थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

प्रभारी निरीक्षक श्री विवेक त्रिवेदी थाना तरबगंज मय टीम।

मीडिया सेल, गोण्डा।